

राजपत्र
24/11/2021

"प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021"

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

वादी	ब	प्रतिवादी
हरीलाल पुत्र मदनलाल जाति जागिड खा० जखराना	ना म	राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी

राजस्व वाद-पत्र = वाद रिकार्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88 R.T.Act 1955 एवं 136 R.L.Act 1956 शुद्धि बाबत

वाद-पत्र नम्बर 187/2021

GCMS No. 2021/900

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इन्लियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो
इस हुकम की
तारीख में जारी
हूए

24.11.2021

वादी श्री हरीलाल पुत्र मदनलाल
जाति जागिड निवासी जखराना द्वारा आज "प्रशासन
गांवों के संग अभियान 2021 " कैम्प ग्राम पंचायत जखराना
में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर जमाबन्दी सम्वत 2074-77, 2075-78
ग्राम हणपतपुर, जखराना पटवार मण्डल रूपपुर थोरु के खाता
नम्बर 07 एवं 227 में वादी की राजस्व रेकार्ड में प्रविष्टि अशुद्धि
हरीलाल पुत्र मदनलाल, हरीलाल पुत्र मदनलाल
दर्ज है, जो अशुद्ध है।

वादी का शुद्ध नाम हरीलाल पुत्र मदनलाल
है, तथा इसी अनुसार
राजस्व रेकार्ड में शुद्ध प्रविष्टि दर्ज करने का निवेदन किया है।
जिसके लिए बतौर साक्ष्य स्वरूप वादी द्वारा परिवार राशन कार्ड न.
आधार नम्बर 428007853807
मतदाता पहचान पत्र अन्य दस्तावेज
की छाया प्रति प्रस्तुत की है।

इस संबंध में हल्का पटवारी रूपपुर थोरु भू.अ.नि. कुचामनसिटी
एवं तहसीलदार कुचामनसिटी/नायब तहसीलदार चितावा से रिपोर्ट
तलब की गई, रिपोर्ट में इन्होंने वादी का उपरोक्तानुसार नाम एवं
प्रविष्टि शुद्ध किये जाने की अनुशंसा की है।

अतः वादी का वाद-पत्र स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार
राजस्व रेकार्ड में शुद्ध प्रविष्टि किये जाने के आदेश प्रदान किये
जाते हैं। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे।
पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल
हो।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)